GST Update for Exporters on the decisions taken in GST Council meeting

इस बार की 39th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक्सपोर्टर से संबंधित काफी सारे फैसले किए गए हैं. उनका विस्तार से विवेचन इस प्रकार है:-

1. इ वैलेट स्कीम वित्त मंत्रालय की एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है. इसमें एक्सपोर्टर को रिफंड देने की बजाय एक वॉलेट में अमाउंट दिया जाएगा जो कि वह सप्लायर को जीएसटी अमाउंट के बदले में दे सकेगा. सप्लायर जीएसटी जमा नकद कराने की जगह पर वॉलेट में से भुगतान कर सकेगा. इससे एक्सपोर्ट को नगद रिफंड देने की जरूरत नहीं होगी. परंतु यह स्कीम अभी तक लागू नहीं हो पाई है. इसको 31.3.2021 तक स्थगित कर दिया गया.काफी ढेर सारे निर्णयों को भी इस मीटिंग में स्थगित कर दिया गया. इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग को "postpone मीटिंग" के नाम से जाना जा रहा है.

2. एक्सपोर्टर को Advance Authorisation, EPCG तथा EOU के काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. जीएसटी लागू होने पर यह तय किया गया था कि इसको IGST pay करके फिर credit लेना है तथा इन schemes में IGST and CESS से छूट नहीं मिलेगी. Advance authorisation में तय किया गया था कि pre-import condition में ही छूट मिलेगी. पर फिर जीएसटी काउंसिल ने इसमें change करके सबको exemption दे दी थी. यह छूट 31.3.2020 तक ही लागू थी. अब इसे इंडस्ट्री की डिमांड पर 31.3.2021 तक बढ़ा दिया गया है जो कि स्वागत योग्य कदम है.

3. एक्सपोर्टर को proportionate credit का रिफंड मिलता है पहले यह समझा जाता था कि यह हर महीने लगाना पड़ेगा पर पर सीबीएसई ने यह क्लेरिफाई किया कि एक period के लिए लगाया जा सकता है. पर यह एक financial year से दूसरे फाइनैंशल year के एक साथ नहीं लगाया जा सकता है. इसको हम एक example से समझ सकते हैं. अगर

हम 2017 18 के period का रिफंड लगाना चाहते हैं तो इसमें अप्रैल 18 का refund साथ में शामिल नहीं किया जा सकता है.पर अब यह बताया गया है कि रिफंड दो फाइनेंसियल ईयर को भी सम्मिलित कर लगाया जा सकता है.

4. अब एक नया प्रावधान लाया गया है जिसमें एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू पर डिपार्टमेंट ceiling लगा सकता है. इसका पूरा विस्तार से उल्लेख press release में नहीं किया गया है. नोटिफिकेशन आने पर भी उसकी व्याख्या की जा सकती है.लेखक के मंतव्य में drawback में वैल्यू सीलिंग लगाई गई है अर्थात उस वैल्यू से ज्यादा drawback नहीं मिलेगा. इसी प्रकार से IGST का रिफंड को भी सीमित करने के लिए provision लाया गया है. Risky exporter checking के कई एक्सपोर्टर द्वारा गलत रिफंड लेने के कारण इसमें बदलाव किया जा रहा है.

5. रिफंड को विदेशी मुद्रा भुगतान से भी link किया जा रहा है. हालांकि सर्विस के एक्सपोर्ट पर भी प्रावधान है पर अब यह वस्तु एक्सपोर्ट पर भी लगाया जा रहा है. हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं लगता है क्योंकि एक्सपोर्टर drawback, Advance Authorisation, MEIS, EPCG स्कीम्स में भी BRC दे ही रहे हैं अब आईजीएसटी रिफंड के लिए भी BRC देना अनिवार्य होगा.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21